



प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
विधि प्रकोष्ठ, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

न्याय अनुभाग-9 (बजट)

लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2026

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2052000910300 (विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली) के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 3,50,000/- की स्वीकृति।

महोदय,

अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0 42 के लेखाशीर्ष 2052000910300 (विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली) के मानक मद " 1- वेतन " में प्राविधानित धनराशि से उक्त लेखाशीर्ष के विभिन्न मानक मदों में संलग्न बी0एम0-9 संख्या:(आर.ई.-बजट-1-239-ई-12-440-X-2025-26, दिनांक 14-01-2026)में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 3,50,000/- (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
2. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि की मांग जिस प्रयोजन हेतु की गयी है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.03.2026 तक) में उसी कार्य के लिये किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेने के उपरान्त सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु सम्बन्धित संस्था उत्तरदायी होगी।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 संख्या (आर.ई.-बजट-1-239-ई-12-440-X-2025-26, दिनांक 14-01-2026) में उल्लिखित विवरणानुसार न्याय विभाग के अनुदान सं0- 42 के लेखाशीर्ष के नामे डाला जायेगा तथा उक्त बी0एम0- 9 में उल्लिखित मानक मद में हो रही सम्भावित बचत से बी0एम0-9 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या उपर्युक्तानुसार, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडवोकेट आन रिकार्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. पे एण्ड अकाण्ट आफिसर, यू०पी० भवन नई दिल्ली।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
7. उप सचिव एवं नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेन्ट) श्री पीयूष कुमार।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2
9. गार्डबुक न्याय-9 (बजट)।

आजा से,

(मुकेश कुमार सिंह-II)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A007-20252026-re-2052

विषय:- पुनर्विनियोग का प्रस्ताव

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
042	2052000910300 (विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली)	01 (वेतन)	1,38,00,000 रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र	1,34,50,000 रुपये एक करोड़ चौतीस लाख पचास हजार मात्र	2025-2026

कुल

₹ 3,50,000 ₹ 3,50,000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

”

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
042	2052000910300 (विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और	1,70,000 रुपये एक लाख सत्तर हजार	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	2,20,000 रुपये दो लाख बीस हजार मात्र	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	दिल्ली)	पेट्रोल आदि की खरीद)	मात्र				
042	2052000910300 (विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2025-2026
042	2052000910300 (विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली)	06 (अन्य भत्ते)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	2025-2026

कुल

₹ 3,50,000 ₹ 3,50,000

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

- 1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है- वास्तविक व्यय के आधार पर।
- 2- उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अकिंत अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- आय-व्ययक में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।
- 3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमओं का उल्लघन नहीं होगा।

संख्या:RE-budget-1-239-E-12-440-X-2025-26-दिनांक: 14-01-2026

सेवा में,

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)/प्रथम,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

मुकेश कुमार सिंह-॥

विशेष सचिव।

अरूण कुमार

अनुसचिव

संख्या : / , दिनांक- जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), 30प्र0 प्रयागराज।
 - 3- एडवोकेट आन रिकार्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
 - 4- पे एण्ड एकाउण्ट आफीसर, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
 - 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ
 - 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
 - 7- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
 - 8- गार्ड बुक, न्याय अनुभाग-9 (बजट)/ पुनर्विनियोग रजिस्टर।

आज्ञा से

मुकेश कुमार सिंह-॥

विशेष सचिव।